# प्रेस नोट

## जनपद सीतापुर

## शातिर अभियुक्त अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार

दिनांक 25.03.2021

पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण एवं आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत सघन चेकिंग हेतु निर्देशित किया गया है।

दिये गये निर्देश के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ में अभियुक्त विकुल पुत्र इन्द्रपाल पासी नि0 अमीरनगर थाना कोतवाली देहात सीतापुर को अवैध शस्त्र जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। अभियुक्त विकूल उपरोक्त शातिर अपराधी एवं थाना स्थानीय का मजारिया हिस्ट्रीशीटर (H.S.-4714A) है जिसके विरूद्ध हत्या, लूट, हत्या का प्रयास व अवैध शस्त्र सहित आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 90/21 धारा 307 भा.द.वि व मु0अ0सं0 91/21 धारा 25 (1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया है। जनपद में अपराधियों के विरूद्ध निरन्तर कार्यवाही इसी प्रकार प्रचलित रहेगी।

**अभियुक्त विकुल का अपराधिक इतिहासः-**

1. मु0अ0सं0 48/17 धारा 302/201भादवि थाना रामकोट जनपद सीतापुर
2. मु0अ0सं0 49/18 धारा 394/411 भादवि थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर ।
3. मु0अ0सं0 333/18 धारा 25(1-B) A ACT थाना रामकोट जनपद सीतापुर ।
4. मु0अ0सं0 84/19 धारा 323/504/506 भादवि थाना रामकोट जनपद सीतापुर
5. मु0अ0सं0 94/19 धारा 307/504/506 भादवि थाना रामकोट जनपद सीतापुर
6. मु0अ0सं0 118/19 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर ।
7. मु0अ0सं0 90/21 धारा 307 भा.द.वि थाना कोतवाली देहात सीतापुर।
8. मु0अ0सं0 91/21 धारा 25 (1-बी) आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात सीतापुर।